सिंहस्थ के मद्देनजर 12 अफसरों की होगी तैनाती

- 6 अफसरों को बनाएंगे उपमेला अधिकारी
- 15 जून तक बनेगी सिंहस्थ सेल की नई टीम
- सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह की जिम्मेदारियां में होगा इजाफा

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर 15 जून तक सिंहस्थ सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 अफसरों को उपमेला अधिकारी बनाया जाएगा और 6 अन्य अफसर को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी. प्रदेश के दूसरे जिलों से अनुभवी अफसरों की उज्जैन में तैनाती की जाएगी.

नवभारत से चर्चा में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि वाकई में समय कम बचा है और महाकुंभ के अंतर्गत जो बड़े बड़े निर्माण कार्य किया जाना है, उसमें अलग-अलग अफसरों को विभिन्न जिम्मेदारी दी जाना है, जल्द ही सिंहस्थ के लिए टीम बनाई जाएगी.

मंदिर प्रशासक और एडीएम को अलग-अलग करेंगे

महाकाल मंदिर में आए दिन होने वाले विवाद, मारपीट, दर्शन पूजन से लेकर ठेकेदारों के भुगतान और प्रशासकीय कार्यों में लेतलाली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वर्तमान में एडीएम और मंदिर प्रशासक का दायित्व प्रथम कौशिक के पास है. दोहरी जवाबदारी के चलते कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में एडीएम और मंदिर प्रशासक के लिए दो अलग-अलग अफसर पदस्थ किए जाएंगे.

सिंह द्वय करेंगे मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की कमान इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को इसलिए सोंपी है कि उन्हें एक लंबा अनुभव है. इधर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और मेला अधिकारी आशीष सिंह मिलकर 50 हजार करोड़ के सिंहस्थ कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे. दोनों ही अफसरों की जवाबदेही में और भी इजाफा किया जाएगा. महाकुंभ के तहत विशेष और जरूरी कार्य प्रारंभ होंगे.

मंदिर में रहे संतोष, कानून व्यवस्था बने अनुकूल

दो नए अफसरों को उज्जैन में बुलाया जा रहा है, जिसमें एडीएम की जिम्मेदारी ऐसे अफसर को दी जाएगी कि माहौल अनुकूल रहे,वही मंदिर प्रशासक की जबाबदेही ऐसे अफसर को दी जाएगी जिससे सभी को संतोष रहे. उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह, सिंहस्थ कार्य में जुट गए है, ऐसे में मंदिर की जवाबदारी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग-अलग अफसर के जिम्मे में रहेगी तो काम जल्द व आसान होगा.

153 कार्य सिंहस्थ के स्वीकृत

उज्जैन सिंहस्थ के लिए अब तक 23,हजार 332 करोड़ रुपए के 153 कार्य स्वीकृत हो चुके है. बाकी सौ काम ऐसे हैं जो कतार में है और स्वीकृति के लिए भोपाल में फाइलें पड़ी हुई है, कुछ काम सिंहस्थ के प्रारंभ हो चुके हैं तो कुछ भूमि पूजन की तैयारी में है, कुल मिलाकर 50 हजार करोड़ के काम उज्जैन में सिंहस्थ के पहले किया जाना है.

इंदौर सहित 3 नगरीय निकायों का पायलेट प्रोजेक्ट में चयन

भोपाल, 28 मई. मध्यप्रदेश में शहरी क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल जन-आजीविका योजना (शहरी) भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है. प्रदेश में केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने 23 सितंबर 2013 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के स्थान पर दीनदयाल अन्त्योदय योजना -'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'(डे-एनयूएलएम) को शुरू किया था.

डे-एनयूएलएम योजना की अवधि प्रदेश में 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गयी. इसके स्थान पर केन्द्र सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय ने एक अक्टूबर 2024 से देशभर में नवीन मिशन 'दीनदयाल जन आजीविका योजना' लागू की है.

प्रदेश में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सितंबर 2013 से सितंबर 2024 तक 65 हजार 599 स्व सहायता समूह 2309 एरिया लेबल फेडरेशन और 106 सिटी लेबल फेडरेशन का गठन किया जा चुका है. इन संगठनों से जुड़कर 6 लाख 50 हजार से ज्यादा महिलाओं ने शहरी स्व सहायता समूह से जुड़कर अपने संगठन को मजबूती प्रदान की है. मिशन के तहत 36 हजार 448 स्व सहायता समूहों को आवर्ती निधि के रूप में करीब 36 करोड़ 45 लाख रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है.

नजरिया एक ही देश की न्याय व्यवस्था में हिन्दी एवं अंग्रेजी के नाम पर पृथक-पृथक दो मापदण्ड कैसे अपनाए जा सकते है

जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अंग्रेजी भाषा की बाध्यता क्यों?

बी.एल. जैन

केन्द्र शासन द्वारा मप्र में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भोपाल में स्थापित करने के आदेश जारी किए है. लेकिन अपील से संबंधित सभी दस्तावेज अंग्रेजी मे प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता की गई है, जो आम करदाता के हित मे नही होकर प्राकृतिक न्याय के भी विपरीत है. हिन्दी हमारी आधिकारिक एवं राष्ट्रभाषा है. आधिकारिक भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज और प्रशासन के लिए किया जाता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिन्दी और अंग्रेजी को संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप मे निर्दिष्ट करता है. इसके विपरीत जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा हिन्दी भाषा को दूसरे स्थान का दर्जा देकर इसकी अनदेखी करते हुए अंग्रेजी में दस्तावेज प्रस्तुती के आदेश हमारी राष्ट्र भाषा की गरिमा और अधिकारों को भी कम करती है. मप्र की स्थिति यह है कि वर्तमान में कई कर सलाहकारों से लेकर व्यापारी वर्ग तक पूर्णत: अंग्रेजी भाषा के जानकार नहीं है. ऐसी स्थिति में अपीलेट ऑथोरिटी के समक्ष अंग्रेजी की बाध्यता होने के कारण वह अपना पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकेगा तो वह न्याय से वंचित रह जाएगा. वर्तमान मे उच्च न्यायालय/आयकर ट्रिब्यूनल/म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की जाती है वह भी हिन्दी में प्रस्तुत की जा सकती है तो फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष हिन्दी में अपील क्यों नहीं की जा सकती है? एक ही देश की न्याय व्यवस्था में हिन्दी एवं अंग्रेजी के नाम पर पृथक-पृथक दो मापदण्ड कैसे अपनाए जा सकते है? निश्चित ही यह आम करदाता के संवैधानिक अधिकारों हनन है. यहां यह उल्लेखनीय है कि आयकर ट्रिब्यूनल की अधिकृत भाषा अंग्रेजी है लेकिन हिन्दी भाषी राज्यों की स्थिती को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र शासन ने आयकर अधिनियम की धारा 255(5) के तहत एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पंजाब, मप्र, राजस्थान, बिहार, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली में हिन्दी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की है जहां प्रकरण मे अपील की प्रस्तुति हिन्दी में की जा सकती है. यही नहीं प्रकरण की प्रोसेडिंग एवं आदेश भी हिन्दी भाषा में जारी किए जा सकते है, फिर जीएसटी में अंग्रेजी की बाध्यता क्यों? जब केन्द्र शासन आयकर ट्रिब्यूनल मे हिन्दी भाषा मे अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान कर सकता है तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अंग्रेजी भाषा की बाध्यता क्यों? अंग्रेजी भाषा में अपील करने के प्रावधान से हालात यह बनेंगे कि करदाता के पास उपलब्ध साक्ष्य को हिन्दी से अंग्रेजी मे अनुवाद करवाना होगा जो खर्चिला तो होगा ही छोटे शहरों में अंग्रेजी अनुवादकों की उपलब्धता नहीं होती है जिससे अनुवाद करने में कर सलाहकारो को बड़े शहरों मे जाकर अनुवाद करवाना होगा जो अनावश्यक परेशानी का कारण तो बनेगा ही इससे करदाता के उपर अनावश्यक खर्चे का भार भी बढ़ेगा. इसके अलावा यदि किसी तथ्य को अनुवादक ने सही रूप मे अनुवाद नहीं किया तो इसका खामियाजा आम करदाता को भुगतना होगा, जिससे वह न्याय पाने से वंचित रह सकता है? बड़े आश्चर्य की बात है कि देश की आजादी के 77वर्षों के बाद भी हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स अंग्रेजी मानसिकता से दूर नहीं हो पा रहे है जबकि भारत सरकार हिन्दी भाषा को प्राथमिकता देकर इसको बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयास कर रही है. बावजूद इसके अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता सरकार के प्रयासों की मंषा के विपरीत है.

न्यायहित में अंग्रेजी में दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए हिन्दी मे भी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु संषोधित अधिसूचना जारी की जाना जनहित मे होगा.

(- लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं अधिवक्ता है)

सुमित्रा ताई की सिफारिश पर उषा ताई को मिला सम्मान!

लोकमान्य नगर यदि कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ है, तो इसका श्रेय श्रीमती उषा वैशंपायन को जाता है. एक समय था जब उषा ताई सिख मोहल्ला भगिनी मंडल की मार्गदर्शिका थीं और उसी संस्था में सुमित्रा ताई (सुमित्रा महाजन) सदस्य के रूप में सक्रिय थीं. संगठन निर्माण की गहरी समझ और कार्यशैली उषा ताई से सुमित्रा ताई ने बहुत कुछ सीखा है.

जैसे-जैसे इंदौर का व्यावसायिक स्वरूप बढ़ता गया, वैसे-वैसे रामबाग, मार्तंड चौक, कृष्णापुरा, हरसिद्धि, सिख मोहल्ला और मराठी मोहल्ला के मराठीभाषी नागरिक लोकमान्य नगर, परसपर नगर, प्रगति नगर, सिल्वर ऑक्स, बृज विहार, धनवंतरी और राजेंद्र नगर जैसी बस्तियों में बसते चले गए. स्वाभाविक रूप से उषा ताई का परिवार भी लोकमान्य नगर आकर बस गया.

सुमित्रा महाजन ने उषा ताई के कार्यों को 1970 के दशक से ही निकटता से देखा और सराहा है. यह स्वाभाविक ही है कि उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ- और इसके लिए उषा ताई के साथ-साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी बधाई के पात्र हैं.

उषा ताई ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनमें कचरा प्रबंधन एक प्रमुख अध्याय है. इंदौर की सामाजिक चेतना को आकार देने वाली वरिष्ठ समाजसेविका श्रीमती उषा वैशंपायन आज भी, 89 वर्ष की आयु में, जिस निष्ठा और ऊर्जा से समाजहित में संलग्न हैं, वह स्वयं में एक जीवंत प्रेरणा हैं. सन् 1994 में जब इंदौर में घर-घर कचरा संग्रहण की अवधारणा भी अपरिचित थी, तब उन्होंने यह अभियान प्रारंभ किया. इसके बाद 23 वर्षों तक उन्होंने जनभागीदारी के माध्यम से कचरा प्रबंधन, कंपोस्ट खाद निर्माण, बगीचों का विकास, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य निरंतर किए.

उनका दृष्टिकोण केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं रहा- उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों में बाल संस्कार केंद्रों के माध्यम से शिक्षा और नैतिक मूल्यों का दीप प्रज्वलित किया। सेवा बस्तियों में अध्यापन करते हुए उन्होंने वंचित समाज के मन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान का संचार किया.

उनका समग्र जीवन देवी अहिल्याबाई होलकर की लोककल्याणकारी परंपरा का आधुनिक रूपांतरण प्रतीत होता है- जहाँ सेवा ही तप है और समाज-परिवर्तन ही साधना.

इसी तप:पूत कार्य के सम्मानस्वरूप हाल ही में इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित देवी अहिल्या त्रिशताब्दी समारोह में उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7390/60**